# मध्यप्रदेश विधान सभा



## फरवरी-मार्च, 2023 सत्र

## दैनिक कार्य सूची

## गुरुवार, दिनांक 16 मार्च, 2023 (फाल्गुन 25, 1944)

### समय 11.00 बजे दिन

#### 1. प्रश्रोत्तर.

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

#### 2. पत्रों का पटल पर रखा जाना.

श्री इन्दर सिंह परमार, राज्यमंत्री स्कूल शिक्षा, नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (क्रमांक 35 सन् 2009) की धारा 38 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक 31-1064713-2023-बीस-2, दिनांक 6 जनवरी, 2023 पटल पर रखेंगे.

#### 3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण.

- (1) श्री कमलेश्वर पटेल, सदस्य, सीधी जिले के बहरी-हनुमना सड़क पर पुल क्षतिग्रस्त होने से उत्पन्न स्थिति की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.
- (2) श्री दिनेश राय 'मुनमुन', सदस्य, सिवनी जिले के पेंच व्यपवर्तन अंतर्गत नहरों का निर्माण न किये जाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

## 4. आवेदनों की प्रस्तुति.

- (1) श्री पी.सी. शर्मा, सदस्य, भोपाल शहर के वार्ड क्र. 25 रमानगर बुद्ध मंदिर के पीछे बाणगंगा में सीवेज लाईन की मरम्मत कार्य कराये जाने,
- (2) श्री धर्मेन्द्र भावसिंह लोधी, सदस्य, दमोह जिले के जबेरा अंतर्गत भिनैनी जलाशय की नहर का सुधार कार्य कराये जाने,
- (3) श्री सुरेश राजे, सदस्य, ग्वालियर जिले के पिछोर (डबरा) अंतर्गत वार्ड क्र. 01 कल्यानपुर में सामुदायिक भवन का निर्माण कराये जाने,
- (4) श्री पहाड़ सिंह कन्नौजे, सदस्य, देवास जिले की तहसील-उदयनगर बागली एवं सतवास में खाद/बीज गोदाम बनाये जाने,
  - (5) श्री अनिल जैन, सदस्य, निवाड़ी जिले के ग्राम वीरसागर से बनियानी तक सड़क का निर्माण कराये जाने,
- (6) श्री प्रहलाद लोधी, सदस्य, पन्ना जिले के ग्राम चन्द्रावल एवं भैंसा के बीच व्यारमा नदी पर पुल निर्माण कराये जाने,
- (7) श्री शरद जुगलाल कोल, सदस्य, शहडोल जिले के जयसिंह नगर अंतर्गत ग्राम उचेहा से ब्यौहारी-वनसुकली पहुंच मार्ग पर ओदारी नदी पर पुल निर्माण कराये जाने,
- (8) **डॉ. हिरालाल अलावा, सदस्य,** धार जिले के ग्राम पंचायत मुहाली के गुमड़ायापुरा में मनोहर के मकान से बनसिंह के मकान तक सी.सी. रोड निर्माण कराये जाने,
- (9) श्री कुंवरजी कोठार, सदस्य, राजगढ़ जिले के ग्राम मेहरीछोटी से सिमरोल तक एवं अन्य ग्रामों में सड़क निर्माण कराये जाने.
  - (10) श्री निलय विनोद डागा, सदस्य, बैतूल नगर के जाकिर हुसैन वार्ड में डामरीकरण मार्ग स्वीकृत करने,

- (11) श्री मुकेश रावत (पटेल), सदस्य, अलीराजपुर जिले के विकासखण्ड सोण्डवा अंतर्गत ग्राम बिछौली के उण्डला खोदरा फलिया में पुलिया निर्माण कराये जाने,
- (12) श्री जालम सिंह पटेल, सदस्य, नरसिंहपुर जिले के करेली अंतर्गत ग्राम करहैया मेन रोड तक सड़क का डामरीकरण कराये जाने.
  - (13) श्री संजय यादव. सदस्य. जबलपुर जिले के बरगी अंतर्गत ग्राम नीची में पहुँच मार्ग निर्माण कराये जाने.
- (14) श्री पुरूषोत्तमलाल तंतुवाय, सदस्य, दमोह जिले के विकासखण्ड पटेरा अंतर्गत सेमरा-इटावा संतोष के बीच कठहरा नाले पर स्टाप डेम कम रिपटा निर्माण कराये जाने,
  - (15) श्री रामपाल सिंह, सदस्य, रायसेन जिले के संबल योजनांतर्गत पंजीकृत श्रमिकों को राशन दिलाये जाने,
- (16) श्री शैलेन्द्र जैन, सदस्य, सागर शहर के सूबेदार वार्ड में चण्डी माई मंदिर बगीचा के पास सड़क एवं नाली निर्माण कराये जाने.
- (17) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय, सदस्य, रतलाम जिले के जावरा अंतर्गत ग्राम सुजापुर हायर सेकेण्ड्री स्कूल में भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान करने,
- (18) श्री आरिफ मसूद, सदस्य, भोपाल शहर के वार्ड क्र. 45 शिवाजी नगर स्थित शासकीय 121, 122 की लाईन आई टाईप आवासों में मरम्मत कार्य कराये जाने.
  - (19) श्री आलोक चतुर्वेदी, सदस्य, छतरपुर जिले के ग्राम पड़रिया से दालौन स्थित नहर को पक्का कराये जाने,
- (20) श्री तरबर सिंह, सदस्य, सागर जिले के बण्डा नगर के वार्ड क्र. 06 में शासकीय प्राथमिक विद्यालय
- (21) श्री सूबेदार सिंह सिकरवार 'रजौधा', सदस्य, मुरैना जिले के जौरा अंतर्गत कैलारस में SL/LMC नहर पर V.R.B. पुलिया का निर्माण कराये जाने,
- (22) श्री हर्ष यादव, सदस्य, सागर जिले के देवरी विकासखण्ड के ग्राम रसेना पहुँच मार्ग के स्थानीय नाले पर वृहद पुल निर्माण कराये जाने,
- (23) श्री रामचंद्र दांगी, सदस्य, राजगढ़ जिले के ग्राम पाडली गुसाई में शासकीय हाई स्कूल की बाउण्ड्रीवॉल बनाये जाने,
- (24) श्री बहादुर सिंह चौहान, सदस्य, उज्जैन जिले की क्षिप्रा नदी पर स्थित रावलाघाट, किला घाट एवं अन्य घाटों पर जीर्णोद्धार की स्वीकृति प्रदान करने,
- (25) कुं. रविन्द्र सिंह तोमर 'भिड़ौसा', सदस्य, भोपाल शहर के वार्ड क्र. 85 कटारा हिल्स हाउसिंग बोर्ड कालोनी में बने उद्यान के अंदर 'वाकिंग ट्रेक' बनाये जाने,
- (26) श्री राज्यवर्धन सिंह, सदस्य, राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ अंतर्गत नगरबोडा में नवीन शासकीय महाविद्यालय प्रारंभ कराये जाने,
- (27) श्री दिलीप सिंह परिहार, सदस्य, नीमच जिले के ग्राम मानपुरा और पिपलयाचारण फंटे से जावी तक डामरीकृत सड़क निर्माण कराये जाने,
- (28) श्री नीरज विनोद दीक्षित, सदस्य, छतरपुर जिले के नौगांव अंतर्गत ग्राम बरद्वाहा में सिंचाई हेतु विद्युत व्यवस्था कराये जाने.
- (29) श्री अनिरुद्ध 'माधव' मारू, सदस्य, नीमच जिले के मनासा अंतर्गत आंत्रीमाता से खेड़ा रोड तक सड़क का निर्माण कराये जाने. के संबंध में आवेदन प्रस्तुत करेंगे.

#### निर्धारित समय

2 घण्टे

## 5. वर्ष 2022-2023 के तृतीय अनुपूरक अनुमान की मांगों पर मतदान.

श्री जगदीश देवड़ा, वित्त मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे -

"दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 7, 8, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 40, 44, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 54 एवं 55 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कल मिलाकर सोलह हजार तीन सौ उनतीस करोड़, पचास लाख, छह हजार, नौ सौ रुपये की अनुपूरक राशि दी जाए.".

#### 6. शासकीय विधि विषयक कार्य.

श्री जगदीश देवड़ा, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक, 2023 (क्रमांक 5 सन् 2023) का पुर:स्थापन\* करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

#### 7. वर्ष 2023-2024 की अनुदानों की मांगों पर मतदान. निर्धारित समय मांग संख्या – 1 (1) सामान्य प्रशासन मांग संख्या - 2 विमानन मांग संख्या - 20 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी जनसम्पर्क मांग संख्या - 32 1 घण्टा मांग संख्या – 41 प्रवासी भारतीय 30 मि. लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन मांग संख्या - 45 मांग संख्या - 48 नर्मदा घाटी विकास महिला एवं बाल विकास मांग संख्या - 55 मांग संख्या - 57 आनंद. 1 घण्टा मांग संख्या - 24 लोक निर्माण कार्य (2) 30 मि. मांग संख्या - 56 कुटीर एवं ग्रामोद्योग. मांग संख्या - 16 मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास (3) 1 घण्टा मांग संख्या - 23 जल संसाधन. (4) मांग संख्या – 3 गृह 1 घण्टा मांग संख्या – 5 जेल 30 मि. मांग संख्या - 28 राज्य विधान मण्डल मांग संख्या - 29 विधि और विधायी कार्य. 1 घण्टा (5) मांग संख्या - 10 वन. (6) मांग संख्या – 6 वित्त वाणिज्यिक कर मांग संख्या - 7 योजना, आर्थिक और सांख्यिकी. मांग संख्या – 31 खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण. 1 घण्टा (7) मांग संख्या - 39 औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन . मांग संख्या – 11 (8) 30 मि. 1 घण्टा मांग संख्या - 22 नगरीय विकास एवं आवास. (9) 30 मि. जनजातीय कार्य (10) मांग संख्या – 33 30 मि. अनुसूचित जाति कल्याण. मांग संख्या - 49 1 घण्टा (11) मांग संख्या – 13 किसान कल्याण तथा कृषि विकास. 1 घण्टा (12) मांग संख्या – 8 भू- राजस्व, जिला प्रशासन तथा आपदा राहत पर व्यय 30 मि. मांग संख्या - 36 परिवहन. (13) मांग संख्या – 18 श्रम 30 मि. मांग संख्या - 25 खनिज साधन. (14) मांग संख्या – 42 भोपाल गैस त्रासदी राहत तथा पुनर्वास 30 मि. चिकित्सा शिक्षा. मांग संख्या - 52 1 घण्टा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण. (15) मांग संख्या – 19

निर्धारित			- 4 -
समय			
1 घण्टा 30 मि.	(16)	मांग संख्या – 30 मांग संख्या – 40	ग्रामीण विकास पंचायत.
1 घण्टा	(17)	मांग संख्या – 12	ऊर्जा.
30 मि.	(18)	मांग संख्या – 14 मांग संख्या – 34	पशुपालन एवं डेयरी सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण.
30 मि.	(19)	मांग संख्या – 35 मांग संख्या – 46	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी.
30 मि.	(20)	मांग संख्या – 26 मांग संख्या – 37 मांग संख्या – 51	संस्कृति पर्यटन धार्मिक न्यास और धर्मस्व.
30 मि.	(21)	मांग संख्या – 17 मांग संख्या – 21	सहकारिता लोक सेवा प्रबन्धन.
1 घण्टा	(22)	मांग संख्या – 44	उच्च शिक्षा.
30 मि.	(23)	मांग संख्या – 9 मांग संख्या – 4	नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा पर्यावरण.
1 घण्टा	(24)	मांग संख्या – 43 मांग संख्या – 47	खेल और युवा कल्याण तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार.
30 मि.	(25)	मांग संख्या – 50	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण.
1 घण्टा	(26)	मांग संख्या – 27	स्कूल शिक्षा.
30 मि.	(27)	मांग संख्या – 15 मांग संख्या – 53 मांग संख्या – 54	घुमन्तु और अर्द्धघुमन्तु जनजाति विभाग अल्पसंख्यक कल्याण पिछड़ा वर्ग कल्याण.
30 मि.	(28)	मांग संख्या – 38	आयुष.

### 8. शासकीय विधि विषयक कार्य.

श्री जगदीश देवड़ा, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2023 (क्रमांक 6 सन् 2023) का पुर:स्थापन\* करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

भोपाल:

दिनांक: 15 मार्च, 2023

ए. पी. सिंह प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा.